Research Inspiration ISSN: 2455-443X
An International Multidisciplinary e-Journal
(Peer - reviewed, Open Accessed & Indexed)
Web: www.researchinspiration.com; Email: publish1257@gmail.com
Vol.4, Issue-III, June 2019

मसौदा नई शिक्षा नीति 2019: शिक्षा प्रणाली में बदलाव का अवलोकन
(Draft New Education Policy 2019: Overview of Changes in Education System)

Sharmeen Fatma
Assistant professor,
Department of sociology,
Hamidia Girls Degree collage, Allahabad University, Prayagraj, India
Email: sharmeenfatma0786@gmail.com
Orcid: https://orcid.org/0000-0001-9508-1605
DOI: https://doi.org/10.53724/inspiration/v4n3.10

सारांश

शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है ''सीखने और सिखाने की क्रिया'' परंतु यदि हम इसके व्यापक अर्थ को देखते हैं, तो शिक्षा किसी भी समाज में चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है। जिसका उद्देश्य मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का विकास कर उसके व्यवहार को परिष्कृत करना हैं। शिक्षा द्वारा ज्ञान और कौशल में वृद्धि कर मनुष्य को योग्य नागरिक बनाया जाता हैं। गांधी जी ने कहा है, ''बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा का सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास ही शिक्षा है।'' स्वामी विवेकानंद के अनुसार ष्मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है।ष इन उद्देश्यों के मद्देनजर 1986 शिक्षा नीति में वह कौन सी कमी रह गई है जिन्हें दूर करने के लिए नई शिक्षा नीति की आवश्यकता पड़ी? यह पत्र ''मसौदा नई शिक्षा नीति 2019'' को शिक्षा में सुधार के लिए नए आयाम और नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में ''राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019'' को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जारी रिपोर्ट के द्वारा जानने का प्रयास करता है। शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता को महसूस किया गया। नई सदी में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में लोग कैसे सीखते हैं, पर उभरते वैज्ञानिक अनुसंधान अत्यंत आवश्यक है। इस नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसी व्यवसायिक शिक्षाओं को भी अंतर्निहित करती है, और विभिन्न पक्ष द्वारा सामूहिक स्तर पर प्रयास किए जाने से परिवर्तन परिलक्षित हो सकता है।

शब्दकुंजी: साक्षरता ,नई शिक्षा नीति, शिक्षा समिति एवं आयोग, नवाचार।

परिचय

किसी भी राष्ट्र की पहचान उसके मानव संसाधन से बनती हैं, और श्रेष्ठ मानव संसाधन शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर करता है। शिक्षा एक राष्ट्र की ताकत है। एक शिक्षित राष्ट्र ही विकसित राष्ट्र हो सकता है। स्वतंत्रता से लेकर अब तक आधुनिक भारत के निर्माण में भारतीय शिक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्तमान समय की जरूरतों के अनुरूप भारतीय शिक्षा प्रणाली में अपेक्षित बदलाव लाने के लिए मसौदा नई शिक्षा नीति 2019 तैयार किया गया है। नई शिक्षा नीति पांच मूलभूत विषयों पर आधारित है– उपलब्धता, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही इसका उद्देश्य और ढांचा भी लगभग वही है, जो पुरानी शिक्षा नीति का था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी 1992 में संशोधित की गई थी और समय–समय पर अनेक बदलाव के कारण नीति में संशोधन की आवश्यकता को महसूस किया गया। भारत सरकार गुणवत्तापरक शिक्षा, नवाचार और अनुसंधान संबंधी आवश्यकताओं के मद्देनजर परिवर्तनशील पहलुओं के आधार पर नई शिक्षा नीति लाना चाहती है और इसके द्वारा छात्रों को आवश्यक

कौशल एवं ज्ञान प्रदान कर के ज्ञान के क्षेत्र में महाशक्ति बनने तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी शिक्षा एवं उद्योग जगत में श्रम शक्ति की कमी को दूर करना चाहती है। आज के समय में भारत विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली के रूप में है। जहां लगभग 1.53 मिलियन स्कूल, 864 से अधिक विश्वविद्यालय, 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय सहित 51 राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं हैं, जिनमें लगभग 23 आईआईटी और 30 एनआईटी शामिल है।

मिशेल फूको ने कहा है ''ज्ञान शक्ति है'' जितना अधिक ज्ञान होता है उतना ही अधिक सशक्त होते है। इस आधार पर भारत को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के बावजूद इसके 25 प्रतिशत जनसंख्या अभी भी अशिक्षित है, केवल 15 प्रतिशत भारतीय छात्र हाईस्कूल और 7 प्रतिशत इस स्नातक तक पहुंच पाते हैं (मसानी 2008) भारत में शिक्षा की गुणवत्ता विश्व के अन्य विकासशील राष्ट्र की तुलना में प्राथमिक या उच्च शिक्षा स्तर पर काफी खराब है। लगभग 25 प्रतिशत शिक्षक पद खाली हैं और लगभग 57 प्रतिशत कॉलेज प्रोफेसरों के पास या तो मास्टर डिग्री है या पीएचडी की कमी है (न्यूज़ वीक 2011) 2011 तक भारत में 1522 इंजीनियरिंग डिग्री देने वाले कॉलेजों (विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा 2009) में वार्षिक छात्र 582000 तथा 1244 पॉलिटेक्निक कॉलेज वार्षिक छात्र 265000 है, हालांकि संस्थानों को संकाय की कमी का सामना करना पड़ता है और शिक्षा की गुणवत्ता पर चिंता जताई गई है (मित्रा 2008) अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट दो हजार सत्रह अट्ठारह में बताया गया है कि विद्यार्थियों का सर्वाधिक नामांकन उत्तर प्रदेश में उसके बाद महाराज और तमिलनाडु का स्थान है।

भारत में साक्षरता दर

2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 74.04 प्रतिशत लोग साक्षर हैं। भारत में पुरुष साक्षरता महिला साक्षरता में काफी अंतर है। पुरुषों की साक्षरता दर 82.14 प्रतिशत है, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 65.46 प्रतिशत है। हालांकि भारत में साक्षरता दर पहले के हिसाब से बढ़ी है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की साक्षरता दर में अधिक वृद्धि हुई है। स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर 12.18 प्रतिशत थी। विश्व की सामान्य साक्षरता दर 85 प्रतिशत से भारत की साक्षरता दर अभी भी काफी पीछे है।

भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं आयोग

- शिक्षा में सुधार औपनिवेशिक काल से ही प्रारंभ हो गया था। उदाहरण के लिए मैकाले का घोषणा पत्र– 1835, वुड घोषणा पत्र 1854, हंटर आयोग 1882 आदि। सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचाना कठिन था। स्वतंत्रता के बाद सभी तक शिक्षा की पहुंच सुलभ कराने हेतु सर्वप्रथम 1948–49 में राधा कृष्ण आयोग तथा 1953 का माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग स्थापित किया गया। शिक्षा में गुणवत्ता के लिए सन 1961 में एनसीईआरटी(NCERT) की स्थापना हुई।
- 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी को समझते हुए शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया।

- उच्च शिक्षा में सुधार के लिए 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। साल 1964 में कोठारी आयोग बना जिसकी सिफारिशों के अनुसरण में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 अपनाई गई और 6 वर्ष तक के बच्चे के उचित विकास के लिए समेकित बाल विकास सेवा योजना शुरू हुई।
- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आयी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर पुनर्विचार – 1992 जिसमें एक सजन व मानवतावादी समाज के लिए शिक्षा का प्रयोग है। जिसे आचार्य राममूर्ति समिति भी कहा जाता है।
- शिक्षा का अधिकार हर बच्चे को मिले इसके लिए शिक्षा को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 2002 में RTE यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम अनुच्छेद 21ए जोड़ा गया और 1 अप्रैल 2010 में यह कानून लागू हुआ। इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का संवैधानिक अधिकार दिया गया ताकि वह मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा हासिल कर सके।
- राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 ज्ञान आधारित समाज के संकल्पना व प्राथमिक स्तर से अंग्रेजी माध्यम में अंग्रेजी को अनिवार्य करने की सिफारिश की गई।
- जस्टिस जे.एस. वर्मा समिति 2012 शिक्षकों की क्षमता की समय–समय पर जांच।
- सर्व शिक्षा अभियान द्वारा बालिकाओं विशेष रूप से बच्चों के शिक्षा पर जोर दिया गया और कंप्यूटर एजुकेशन के जरिए बदलते समय में बच्चों की तकनीकी रूप से दक्ष करना भी लक्ष्य है।
- इस उद्देश्य तो सरकार ने 2015 तक शिक्षकों की कमी को दूर करने का लक्ष्य बनाया और खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू है।
- सरकारी स्कूलों की बुनियादी ढांचे में विकास के साथ ही छात्र शिक्षक–अनुपात को अंतरराष्ट्रीय मानकों तक लाना आज की नई शिक्षा नीति की प्रमुख प्राथमिकताएं हैं।
- इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा में बड़े लक्ष्य पाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्धारण हेतु पिछली सरकार ने 2017 में डॉ के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया।
- डॉ के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने 31 मई 2019 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक और मानव संसाधन मंत्री श्री संजय शामराव धोत्रे के सामने प्रस्तुत किया।

शिक्षा में नवाचार की आवश्यकता क्यों?

भारतीय शिक्षा में नवाचार की जरूरत को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है–

- वर्तमान शिक्षा नीति उन अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं उतर सके जिसकी उम्मीद की गई थी। उदाहरण के लिए उद्योग, व्यापार जगत की आवश्यकता के अनुरूप स्कूल कॉलेजों से युवा नहीं निकल पा रहे हैं।
- वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में ज्ञान से ज्यादा महत्व अच्छे अंक को दिया जाने लगा है, और विद्यार्थियों में इसके लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ गई जबकि किताबी ज्ञान का महत्व एक सीमा तक ही होता है। उसके बाद मैं तौर–तरीके अपनाने की आवश्यकता होती है।

- देश में जिस प्रकार से नैतिक आचार– व्यवहार की आवश्यकता है उसे प्राप्त करने में भी मौजूदा शिक्षा व्यवस्था असफल है।
- देश दुनिया में भारत को एक नई पहचान दिलाने में युवाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन यह अवसर कुछ युवाओं को मिला है, जिसके लिए कहीं ना कहीं वर्तमान शिक्षा प्रणाली ही जिम्मेदार है।
- राष्ट्र निर्माण हेतु शिक्षा में असमानता को समाप्त कर एक समान पाठ्यक्रम अपनाने की आवश्यकता है। वर्तमान शिक्षा नीति में या दृष्टिकोण अनुपस्थित है ,इसलिए नई शिक्षा नीति का महत्व बढ़ जाता है।
- समान पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नई शिक्षा नीति केवल डिग्री डिप्लोमा प्राप्त करने का साधन ना हो और नौकरी पाने तक सीमित ना रहे, बल्कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास के साथ सोचने समझने किसान सहकारी विकास करें।
- नई शिक्षा नीति राज्य और संघ शासित प्रदेशों को अपने उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप अपनी प्राथमिकता तय करने और योजना के प्रावधान लागू करने का अवसर देता है। जिस का अभाव वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में पाया गया है।

नई शिक्षा नीति का मसौदाः प्रमुख बिंदु

1. शिक्षा का अधिकार कानून का दायरा बढ़ाया जाए।
2. 5+3+3+4 का फार्मूला ।
3. राशि नियामक प्राधिकरण गठित किया जाए।
4. शिक्षण के बहुविकल्पी तरीके अपनाए जाए।
5. रेमेडियल शिक्षण की पुख्ता व्यवस्था की जाए।
6. नवोन्मेषी शिक्षण उपायों को अपनाया जाए।
7. लड़कियों की शिक्षा पर विशेष जोर।
8. शिक्षण में तकनीकी का प्रयोग किया जाए।
9. विषय वस्तु का भार कम किया जाए।
10. स्तर हीन शिक्षा से छुटकारा पाया जाए।

शिक्षा प्रणाली का नया स्वरूप

शिक्षा का उद्देश्य साक्षरता के साथ–साथ जीवनोपयोगिता भी होता है। इस दृष्टिकोण से 31 मई 2019 को नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया गया। नई शिक्षा नीति पांच प्रमुख मूलभूत विषयों पर आधारित है–
उपलब्धता, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य जवाबदेही। कोई चार अध्याय व 24 बंधु में नीति ने शिक्षा के भविष्य के लिए विश्लेषण और सुझाव प्रस्तुत किए हैं।

- नई शिक्षा नीति ने पहले अध्याय में प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल व शिक्षा को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। वर्ष 2025 तक 3 से 6 वर्ष के बालकों की शिक्षा का मुफ्त सुरक्षित उच्च गुणवत्तापूर्ण, विकासात्मक स्तर के अनुरूप व देखभाल और शिक्षा की पहुंच को सुनिश्चित करना है। इसके लिए वर्तमान आंगनवाड़ी

केंद्रों को सशक्त करना, इनमें प्रशिक्षित कार्यकर्ताओ/शिक्षकों की भर्ती करना व जहां संभव हो सके वहां इन्हें प्राथमिक विद्यालयों के साथ जोड़ने की बात की गई है। जो एक नवाचारी कदम है।

- दूसरे भाग में 2025 का पांचवी कक्षा एवं उसके ऊपर के सभी विद्यार्थियों को बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान के अध्ययन के सामान्य स्तर पर लाना है। इसके लिए समिति ने दो महत्वपूर्ण कारकों की ओर ध्यान आकर्षित किया है ,जो शिक्षक अधिगम को प्रभावित करते हैंः–

1. बच्चों में पर्याप्त पोषण की कमी, जिस कारण उनके सीखने की क्षमता प्रभावित होती है। इसके लिए समिति में मध्यान्ह भोजन को और ज्यादा सुदृढ़ करने के साथ–साथ सुबह नाश्ते की व्यवस्था भी शिक्षण संस्थानों में करने की अनुशंसा की है।
2. बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा ना देना है। जो सीखने की प्रतिफलों को प्राप्त करने में बाधा बनता है। इसके लिए समिति ने बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही है। भाषा सप्ताह, भाषा मेला अथवा गणित सप्ताह या गणित मेला जैसे कार्यक्रमों को चलाने की बात की गई है। इस प्रकार के नवाचार से अधिगम की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है।

- शिक्षा नीति के तीसरे अध्याय में ड्रॉपआउट बच्चों को शिक्षा से पुनः जोड़ने और सभी तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2030 तक 3 से 18 वर्ष की सभी बच्चों की निशुल्क एवं अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा की पहुंच एवं भागीदारी के लिए दो सुझाव दिए जय हैं–

  पहले तो यह है कि स्कूलों को प्रभावी और पर्याप्त बुनियादी ढांचा मुहैया करवाना जिससे सभी विद्यार्थियों को पूर्व प्राथमिक से लेकर 12 तक के सभी स्तरों पर एक सुरक्षित आकर्षक स्कूल उपलब्ध हो सके। दूसरा यह कि सावधानी पूर्वक बच्चों और उनके सीखने की स्तर की निगरानी और भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

- समिति ने 14 अध्याय में शिक्षण प्रक्रिया में नई व्यवस्था को लेकर सबसे महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। वर्तमान में चल रही 10+2+3 व्यवस्था के स्थान पर 5+3+3+4 नई व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की है, जिसमें वर्ष 3–8, 8–11, 11–14, व 14–18 तक की आयु के बच्चों को उनकी अलग आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त कक्षा नवमी से बारहवीं तक वार्षिक परीक्षाओं के स्थान पर सेमेस्टर व्यवस्था की गई है, जिसमें अपनी रूचि के अनुसार विद्यार्थी उपलब्ध विषयों में से अलग–अलग विषयों के चयन को लेकर स्वतंत्र होंगे समिति ने उच्च शिक्षा को तीन स्तरों में बांटने की सिफारिश की हैः–

  स्तर–1 में अनुसंधात्मक विश्वविद्यालय होंगे जो शिक्षण अन्वेषण में काम करेंगे।

  स्तर–2 में वही विश्वविद्यालय शामिल होंगे जो मुख्यतः शिक्षण पर केंद्रित होंगे।

  स्तर– 3 मे व कॉलेज शामिल होंगे जो स्नातक स्तर का शिक्षण कार्य देखेंगे। मिशन तक्षशिला, मिशन नालंदा द्वारा संचालित होंगे। समिति में नई खोजों और प्रयोगों को अधिमान देने की बात की है। साथ ही साथ राष्ट्रीय छात्रवृत्ति कोष की स्थापना की सिफारिश की है, जो पूरे देश के विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।

- नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के दायरे को विस्तृत करने का प्रयास किया गया है, साथ ही स्नातक पाठ्यक्रमों को भी संशोधित किया गया है।
- त्रिभाषा फार्मूला के तहत हिंदी को अनिवार्य करने की बात कही गई है।
- इसमें लिबरल आर्ट्स, साइंस, एजुकेशन के 4 वर्षीय कार्यक्रम को फिर से शुरू करने तथा कई कार्यक्रमों को हटाने के विकल्प के साथ एम.फिल प्रोग्राम को रद्द करने का प्रस्ताव है।
- इसके अनुसार पीएचडी करने के लिए मास्टर डिग्री या 4 साल की स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी।
- यह मसौदा धारा 12 (1)(सी) (निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए अनिवार्य 25 प्रतिशत आरक्षण का दुरुपयोग किया जाना) की भी समीक्षा करती है।
- स्कूली शिक्षा के लिए स्वतंत्र नियामक राज्य विद्यालय नियामक प्राधिकरण (SSRA) और उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा।
- निजी स्कूल फीस निर्धारण के लिए स्वतंत्र है। फीस निर्धारण राज्य विद्यालय नियामक प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक तीन साल की अवधि के लिए होगा।
- सतत् आधार पर शिक्षा के विकास, कार्यान्वयन, मूल्यांकन और शिक्षा के उपयुक्त दृष्टिकोण को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ''राष्ट्रीय शिक्षा आयोग'' उत्तरदायी होगा।
- उच्च शिक्षा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए विदेशों में भारतीय संस्थानों की संख्या में वृद्धि करने के साथ, विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों को भारत में अपनी शाखाएं स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी।

नई शिक्षा नीति का लक्ष्य

- जीरो से 6 साल के बच्चों तक उच्च गुणवत्ता वाले ईसीसी (ECCE – Early childhood care and Education) प्रोग्राम द्वारा भाषा से जुड़ी गतिविधियों के लिए निशुल्क सुलभ पहुंच सुनिश्चित करना। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दायरे में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा से संबंधित सभी पहलुओं आएंगे।
- ड्रॉपआउट बच्चों को शिक्षा से पुना जोड़ने और सभी तक शिक्षा की पहुंच को सुनिश्चित करवाने का भी लक्ष्य रखा गया है।
- इसके लिए 2030 तक 3–18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच और भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है।
- वर्ष 2030 तक कक्षा 12 तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराने की व्यवस्था भी की गई ताकि माध्यमिक शिक्षा को सुनिश्चित करने के साथ शिक्षा के अधिकार को विकसित किया जा सके।
- शिक्षा शास्त्र में 2022 तक आमूलचूल बदलाव करने का लक्ष्य है। रटन्त प्रणाली को समाप्त कर हुनर, कौशल जैसे तार्किक चिंतन, सृजनात्मकता, वैज्ञानिक सोच, संवाद और सहयोग की क्षमता, बहुभाषिकता,

सामाजिक उत्तरदायित्व और सरोकार के साथ ही डिजिटल विकास साक्षरता को समग्र रूप से बढ़ावा दिया जा सके।

व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों का विकास के लिए शिक्षा जरूरी है। भारत जैसे विशाल मानव संसाधन क्षमता वाले देश में, क्षमता का समुचित उपयोग हो इस दृष्टिकोण से ''मसौदा नई शिक्षा नीति 2019'' सरकार द्वारा शिक्षा में व्यापक परिवर्तन को इंगित करता है। इसके समक्ष अनेक चुनौतियां भी हैं। युवा आबादी के समकालीन और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से यह शिक्षा नीति बनाई गई है। समय की कसौटी पर यह कितना खरा उतरती है, यह भविष्य के गर्भ में छिपा है। मीलो लंबी यात्रा पहले ही की जा चुकी है, और सरकार का प्रयास बना रहा तो देश ऐसे व्यक्तियों के निर्माण में सफल होगा जो स्वयं में विश्वास करें तथा शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य को पूरा करें अर्थात राष्ट्र का निर्माण करें एवं भावी पीढ़ियों को समय के अनुसार योग्य बनाएं।

संदर्भ ग्रंथसूची :–

1. https://mard/gov.in
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019–MHRD-
3. Masani,sareer,India, still Asia reluctant tiger,BBC Radio 4,27 February 2008.
4. न्यूजवीक विशेष रिपोर्टरू द एजुकेशन रेस, वर्ष 2011, 18 – 25 अगस्त ।
5. Mitra,Sramana,How to save the World's Back office of Forbes,03.14.2008 .
6. Science and Technology Education"Press Information Bureau,Retrieved 2009.08.08
7. जनगणना 2011, भारत सरकार।
8. अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट,2017–18 ।
9. भारत 2011, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग नई दिल्ली पेज– 2581 ।
10. भारत सरकार, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय एवं विकास (1993) बोझ के बिना सीखना – की रिपोर्ट, राष्ट्रीय सलाहकार समिति, नई दिल्ली एमएचआरडी।
11. मासिक पत्रिका योजना, वर्ष (2016) जनवरी।
12. गुप्ता, डी (2012) भारत संरचना, सांख्यिकी और चुनौतियों में उच्च शिक्षा, जर्नल, शिक्षा और अभ्यास खंड ३.3(2) पृ.सं. 17 –25।